

सेवा में,

निदेशक/जन सूचना अधिकारी,  
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान  
भारत सरकार  
उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  
कानपुर-208017

कै. ली. ०२० मंत्रि  
17.05.2017

24/5/17

**विषय:-** जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत होना चाहे कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर द्वारा उत्तराखण्ड की सभी सार्वजनिक एवं सहकारी चीनी मिलों में रिक्त रसायविदों के पदों को भरने के लिए उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल संघ लि०, (उत्तराखण्ड शुर्गस) की विज्ञापित सं०- 95 दिनांक 23.04.2013 के द्वारा विज्ञापित पदों के सम्बन्ध में लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 15.12.2013 को देहरादून के परीक्षा केन्द्रों में किया गया था। प्रार्थी को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुक्रम में सभी सफल अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के प्राप्ताको/पूर्णाकों का विवरण उपलब्ध कराने हेतु अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- रू०-20/- भारतीय पोस्टल आर्डर  
सं० 24G 758264, दिनांक 17.05.2017

Sri Rajeev  
P. D. S. W.  
24/5/17



प्रार्थी,

Rajeev Singh 17/5/17

( राहुल देव सिंह )

बी-3, चीनी मिल कालोनी  
किसान सहकारी चीनी मिल लि०,  
सितारगंज, पो०ओ०- नकटपुरा  
जिला- उधम सिंह नगर  
उत्तराखण्ड  
पिन कोर्ड नं० 263148





सं.- 25(52)/2017/RTI/79

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित संस्थान  
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  
भारत सरकार

फोन- 2570541, 542  
फैक्स- 0512-2570247

कानपुर, दिनांक- 19.6.2017

सेवा में,

उत्तराखंड सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड,  
उत्तराखंड शुगर्स,  
एस.-08, त्योंर विला, सी- ब्लॉक,  
गणेश विहार, अजबपुरखुर्द,  
देहरादून- 248001 (उत्तराखंड)

जारी

सख्या -- 728+709

दिनांक 21/6/17

विषय- जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना के संबंध में।  
महोदय,

श्री राहुल देव सिंह, बी-3, चीनी मिल कालोनी, किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, सितारगंज, पो. - नकटपुरा, जिला- उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड द्वारा प्राप्त पत्र दिनांकित 17.5.2017 के सन्दर्भ में, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दिनांक 22.5.2017 को संस्थान में प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में आपको श्री राहुल देव की RTI application की मूलप्रति आपको RTI Act- 2005 के Section 6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित की जा रही है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं -

श्री नरेन्द्र मोहन,  
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, भारत सरकार,  
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,  
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कानपुर- 208017

भवदीय

20/6/17

(जितेंद्र सिंह)

स. आ. श. प्रौ.,

वरि. प्रशा. अधिकारी एवं  
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

श्री राहुल देव सिंह, बी-3, चीनी मिल कालोनी, किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, सितारगंज,  
पो. - नकटपुरा, जिला- उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड-263148

9/C